सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 40/2015 (124/2014)

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. राधेश्याम पुत्र धन्ना जाति माली
2. गणपत पुत्र धन्ना जाति माली

निवासीगण बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

————प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. किशनलाल पुत्र प्रभूदास
2. रामनिवास पुत्र बिहारीदास
3. सीताराम पुत्र राधेश्याम

समस्त जाति वैष्णव निवासीगण बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

———अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवान सपठित धारा 151 जाप्त दीवानी वास्ते आदेश दिनांक 09.06.2015 को अपास्त किये जाने बाबत

निर्णय

दिनांक 07.06.18

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 व 3 उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी सपठित धारा 151 जा. दी. का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर के जामबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 227 में वर्णित कुल किता खसरा नम्बर 9 कुल रकबा 4.06 हैक्ट भूमि जो कि रतनलाल पि. रामकिशन, गोपाल, राधेश्याम, गणपत, रतन पि. धन्ना मु. अलोल बेवा धन्ना कौम माली सा.देह. खातेदार के नाम दर्ज थी। न्यायालय द्वारा पूर्व मुकदमा नम्बर 124/2014 उनवानी राधेश्याम बनाम किशनलाल वगै. के नाम से विचाराधीन था जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2015 को लोक अदालत 2015 न्याय आपके द्वार केम्प कुशायता में निर्णित किया गया जिसमें वादी का दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत था। उक्त निर्णय दिनांक को वादीगण उपस्थित नही थे तथा प्रतिवादीगण की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 230, 238, 240, जिनकी किस्म गै.मु. रास्ता होने से इन्हे छोडते हुए शेष आराजी खसरान नम्बरान का दावा डिक्री कर दिया गया जबकि वादीगण ने अपनी प्रेयर में निम्न निवेदन किया था–

प्रतिवादीगण स्वयं व उनके नोकर चाकर हीली, सीरी, एजेन्ट, परिवार के सदस्यगण वगै को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी में अवैध रूप से सार्वजनिक रास्ता नही निकाले ना ही वादीगण के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नही करें। वादीगण को खर्चा प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा जो चाहा गया अनुतोष न देकर प्रार्थीगण की खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 230, 238, 240 को छोडते हुए दावा डिक्री किया गया जो कतई गलत व निराधार है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर पूर्व निर्णय दिनांक 09.06.2015 को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई का अवसर देकर विधि अनुसार निर्णय किया जावे।

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल एडवोकेट उपस्थित हुए जिन्होने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। पत्रावली आज बहस प्रार्थनापत्र हेतु नियत है। तथा आज दिनांक 07.06.2018 को केम्प कोर्ट कुशायता में पेश हुई जहां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित है। जिन्हे सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर के जामबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 227 में वर्णित कुल किता खसरा नम्बर 9 कुल रकबा 4.06 हैक्ट भूमि जो कि रतनलाल पि. रामकिशन, गोपाल, राधेश्याम, गणपत, रतन पि. धन्ना मु. अलोल बेवा धन्ना कौम माली सा.देह. खातेदार के नाम दर्ज थी। न्यायालय द्वारा पूर्व मुकदमा नम्बर 124/2014 उनवानी राधेश्याम बनाम किशनलाल वगै. के

नाम से विचाराधीन था जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2015 को लोक अदालत 2015 न्याय आपके द्वार केम्प कुशायता में निर्णित किया गया जिसमें वादी का दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत था। उक्त निर्णय दिनांक को वादीगण उपस्थित नही थे तथा प्रतिवादीगण की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 230, 238, 240, जिनकी किस्म गै.मु. रास्ता होने से इन्हे छोडते हुए शेष आराजी खसरान नम्बरान का दावा डिक्री कर दिया गया जो कतई गलत है जबकि वाद प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि खसरा नम्बर 230, 238, 240 वादी के पूर्वजों के समय से वादी के खातेदारी की आराजी है। मौके पर इन खसरा नम्बरों में सार्वजनिक रास्ता नही था ना ही आज है। उक्त आराजी में प्रार्थी वादीगण अपने पूर्वजों के समय से कृषि कार्य करते आ रहे है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि पूर्व निर्णय दिनांक 09.06.2015 को अपास्त कर नये सिरे से वादी का दावा निर्णित किया जावे।

अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 0906.2015 सही ढंग से निर्णित किया गया है। न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारों को सूचना दी गई थी तथा उक्त अभियान की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये गये व जरिये अखबार के भी इस्तहार राज्य सरकार द्वारा जारी कराये गये जिनकी सूचना समस्त काश्तकारों को थी किन्तु प्रार्थीगण जानबूझकर पूर्व निर्णय दिनांक को जानबूझकार हाजिर नही हुए जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार है। यदि प्रार्थीगण को न्यायालय के निर्णय पर एतराज था तो उनके द्वारा अग्रिम न्यायालय में अपील की जा सकती थी। किन्तु उन्होने अपील ना करके न्यायालय को गुमराह करने के लिए पुनः इसी न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश किया है जबकि प्रशासन द्वारा पूर्व में भी उक्त रास्ते बाबत अतिक्रमण हटाकर बिलायती बंबूलों को ग्राम पंचायत द्वारा हटाया गया था। जिसका मौका पर्चा प्रार्थीगण ने इस वादपत्र में पेश किया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को साबित करने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के साथ केवल मात्र यह प्रार्थनापत्र पेश किया है जिसके साथ पूर्व निर्णय दिनांक की प्रति भी पेश नही की गई है जबकि जिस आदेश के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र पेश किया गया है उसकी प्रति भी प्रार्थी द्वारा ही पेश करनी होती है जो कि पेश नही की गई है। यदि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तो पूर्व निर्णय दिनांक 09.06.2015 की सम्पूर्ण इबादत ही बदल जाती है। लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अन्तर्गत पूर्व निर्णय को बदलने की क्षमता इस आदेश के तहत नही होती। प्रार्थीगण को इस आदेश की अपील करनी चाहिए थी जो उसके द्वारा नही की गई है जिसके कारण प्रार्थनापत्र का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही होना जाहिर होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थीगण साबित करने में असमर्थ रहे है ना ही उनके द्वारा प्रार्थनापत्र को अपने पक्ष में कराने हेतु कोई अन्य दस्तावेज आदि पेश किये है लिहाजा प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थीगण उक्त आदेश की अन्य न्यायालय में चारा जोरी हेतु स्वतंत्र है। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निर्णय दिनांक 07.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी